

# :: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

## -: सेवानिवृत्ति आदेश :-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45002/सेवानिवृत्तियां/2020-21/समेकित-1 दिनांक 16जनवरी 2020 द्वारा श्री मदननाथ रावल, (जन्मतिथि 28.02.1961) सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिलाडा, जोधपुर के सेवानिवृत्ति आदेश प्रसारित किये गये थे। तत्समय इनके विरुद्ध सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन थी। उक्त कार्यवाही विभागीय आदेश दिनांक 06.10.2021 द्वारा समाप्त की जा चुकी है।

अतः मदननाथ रावल, तत्कालीन प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिलाडा, जोधपुर के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरुद्ध आज दिनांक तक -

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।

  
(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा-मा/संस्था/बी-2/सेवानिवृत्तियां/प्रधानाचार्य/2020-21/39 दि : 09/11/2021  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय जोधपुर।
- 02 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, जोधपुर।
- 03 संबंधित सयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
- 04 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा जोधपुर।
05. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बिलाडा, जोधपुर
06. श्री मदननाथ रावल, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिलाडा, जोधपुर।
07. रक्षित / निजी पत्रावली।

  
सयुक्त निदेशक (कार्मिक)